कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 240/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 21.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-21 जून 2026
थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

☐ ***ग्राम कंजहित में महिलाओं को गहने साफ करने का झांसा देकर सोने के आभूषण हड़पने की घटना का सफल अनावरण***
☐ ***पुलिस मुठभेड़ में 02 अंतर्राज्यीय शातिर अपराधी गिरफ्तार, एक बदमाश के पैर में लगी गोली***
☐ ***लूटी गई सोने की चैन, कान के झाले, अवैध तमंचा एवं कारतूस बरामद***

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देवगांव पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना देवगांव पुलिस ने महिलाओं को गहने साफ करने का झांसा देकर सोने के आभूषण हड़पने तथा विरोध करने पर असलहा दिखाकर लूट/ठगी की घटना को अंजाम देने वाले 02 अंतर्राज्यीय शातिर अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त बिहार राज्य के निवासी हैं तथा इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लूट, चोरी एवं आर्म्स एक्ट के मुकदमे पंजीकृत हैं।

घटना का विवरण-

दिनांक 16.06.2026 को वादी जयनारायण दुबे पुत्र रामनाथ दुबे निवासी ग्राम कंजहित थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गयी कि उनकी पत्नी मनोरमा दुबे से दो अज्ञात व्यक्तियों ने सोने के गहने साफ करने का झांसा देकर उनके सोने के आभूषण प्राप्त कर लिये तथा विरोध करने पर भयभीत कर मौके से फरार हो गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना देवगांव पर मु0अ0सं0-232/2026 धारा 309(4), 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस मुठभेड़ एवं गिरफ्तारी-

दिनांक *20/21.06.2026 की रात्रि समय लगभग 00:45 बजे* उ0नि0 राजेश कुमार सिंह प्रभारी चौकी पल्हना थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा गायत्री मोड़ पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मेहनाजपुर की तरफ से मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिये। पुलिस टीम को देखकर दोनों अचानक वाहन की गति बढ़ाकर लहुवां की तरफ भागने लगे। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक विमल प्रकाश राय तथा चौकी प्रभारी लालगंज उ0नि0 रविन्द्रनाथ पाण्डेय मय पुलिस बल द्वारा पीछा किया गया। पीछा करते हुए पुलिस टीम सरूपहां क्षेत्र में पहुँची, जहाँ भाग रहे बदमाशों की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गयी। पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबन्दी कर आत्मसमर्पण करने हेतु चेतावनी दी गयी, किन्तु बदमाशों ने पुलिस टीम को जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी नियंत्रित जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा अभियुक्त मौके का फायदा उठाकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा दौड़ाकर पकड़ लिया गया।
घायल अभियुक्त ने पूछताछ में अपना नाम *चाहत कुमार पुत्र स्व0 मिथिलेश शाह निवासी ग्राम समेली थाना कुरसेला जनपद कटिहार (बिहार), उम्र 22 वर्ष* बताया तथा दूसरे अभियुक्त ने अपना नाम *मुन्ना शाह पुत्र स्व0 जोगेन्द्र शाह निवासी ग्राम समेली थाना कुरसेला जनपद कटिहार (बिहार), उम्र 45 वर्ष* बताया। घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु चिकित्सालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-232/2026 धारा 309(4), 317(2) बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0-235/2026 धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. चाहत कुमार पुत्र स्व0 मिथिलेश शाह निवासी ग्राम समेली थाना कुरसेला जनपद कटिहार (बिहार), उम्र 22 वर्ष। (घायल)
2. मुन्ना शाह पुत्र स्व0 जोगेन्द्र शाह निवासी ग्राम समेली थाना कुरसेला जनपद कटिहार (बिहार), उम्र 45 वर्ष।

बरामदगी-

अभियुक्तों के कब्जे से बरामद—

- 01 अदद सोने की चैन (घटना से संबंधित)
- 02 अदद कान के झाले (घटना से संबंधित)
- 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर

पूछताछ में खुलासा-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 16.06.2026 को ग्राम कंजहित में महिलाओं को गहने साफ करने का झांसा दिया था। इसी दौरान एक सोने की चैन एवं दो कान के झाले प्राप्त कर लिये तथा महिलाओं के विरोध करने पर अवैध तमंचा दिखाकर भयभीत किया और गहने लेकर फरार हो गये।

अभियुक्तों ने यह भी बताया कि वे विभिन्न जनपदों एवं राज्यों में घूम-घूमकर महिलाओं को गहने साफ करने, चमकाने अथवा पुराने गहनों को नया बनाने का झांसा देकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। इनके अन्य साथियों के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों को लगाया गया है।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

चाहत कुमार

1. मु0अ0सं0-154/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चोला जनपद बुलन्दशहर।
2. मु0अ0सं0-119/2024 धारा 317(5), 318(4) बीएनएस थाना कपूरपुर जनपद हापुड़।
3. मु0अ0सं0-232/2026 धारा 309(4), 317(2) बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0-235/2026 धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

मुन्ना शाह

1. मु0अ0सं0-192/2024 धारा 392, 411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच।
2. मु0अ0सं0-232/2026 धारा 309(4), 317(2) बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0-235/2026 धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक विमल प्रकाश राय, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 रविन्द्रनाथ पाण्डेय, चौकी प्रभारी लालगंज, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
3. उ0नि0 राजेश कुमार सिंह, चौकी प्रभारी पल्हना, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
4. का0 कृष्ण कुमार, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
5. का0 कृष्णानन्द पाण्डेय, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
6. रि0का0 आर्यन सिंह, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
7. रि0का0 अमित तिवारी, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
8. का0 इमरान अली, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
9. रि0का0 सोनू यादव, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
10. रि0का0 मन्टू कुमार सिंह, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
11. का0 सूर्यकान्त तिवारी, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
12. रि0का0 त्रिपुरेश पाठक, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

जनपद पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रतिबद्ध है। अंतर्राज्यीय अपराधियों के नेटवर्क की विस्तृत जांच की जा रही है तथा अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

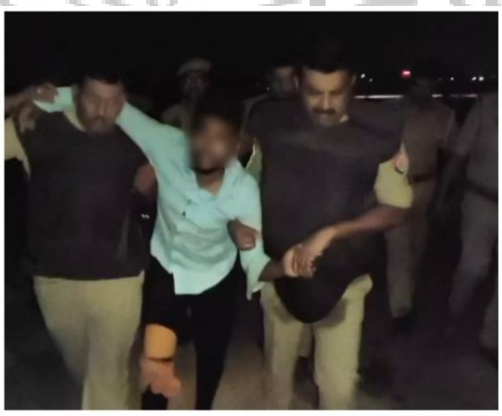

उत्तर प्रदेश पुलिस